XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.848–दो / 10 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–7–14	आवेदक की ओर से श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभि.उप.। आवेदक अभि. इस प्रकरण को अब आगे चलाना नही चाहते । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
5-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय :– श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0आर. .....थर्ड / 2010

कृपाराम पुत्र भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम असुई पर0गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विहारी नगर बंधा रोड आरा मशीन के सामने गोहद तह0गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 3 / 6 / 10 न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र0क्र0 24 / 06–07 अपील / निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नांनुसार प्रस्तुत है:–

1– यहकि,ग्राम असुई पर0गोहद जिला भिण्ड में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र. 218,323,357,377,436,441,466,453 कुल किता 8 कुल रकवा 0.72 है0भूमि के भीमसिहं अभिलिखित भू स्वामी व आधिपत्यधारी थे ।

2– यहकि,भीमसिहं ने अपने जीवनकाल में दिनांक 5 / 9 / 86 को आवेदक के हक में वसीयत संपादित की ।

3– यहकि,भीमसिहं की मृत्यु दिनांक 1 / 11 / 96 को हो जाने पर तेहसील न्यायालय आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर अपने नाम नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदक द्वारा आपत्ति कर वारिसानो के आधार पर नामांतरण किये जाने की प्रार्थना की तामील गोहद में प्र0क्र014 / 2000–2001 x अ / 6 पर पंजीवद्व किया जाकर उभयपक्षो को साक्ष्य व सुनवाई का पार्याप्त अवसर प्रदान कर पारित आदेश दिनांक 11 / 4 / 04 द्वारा वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

4– यहकि,अनावेदक द्वारा तहसील गोहद द्वारा पारित आदेश के विरूद्व श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क्र031 / 03–04 अपील पर पंजीवद्व की जाकर पारित आदेश दिनांक 15 / 12 / 06 द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार कर तहसील का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण वारिसानो के नाम नामांतरण आदेश विधिक प्रकिया का अनुसरण करते हुये पारित करें ।

5– यहकि,आवेदक द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेश के विरूद्व श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क्र02 24 / 06–07 अपील पर पंजीवद्व की जाकर पारित आदेश दिनांक 3 / 6 / 10 द्वारा आवेदक की अपील को अवैधउउ तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारो के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जाती है ।

निगरानी के आधार :–

1– यहकि,अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है ।

2– यहकि,अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय् का आदेश को अंतिम प्रकार का न मान्य कर अंतिरिम प्रकार का मानने में भूल की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध होकर निरस्तनीय है ।